मा0 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

(Self Employment Through Solar Farming)

नोडल एजेन्सी

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया, पटेलनगर, देहरादून।
फोन :– 0135–2521387, फैक्स 0135–2521386

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या– 697 /I-1/2020-03/02/2020
देहरादून : दिनांक : 22 सितम्बर, 2020

"मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना"

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन "मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना" संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजना का उद्देश्य :–

प्रदेश का अधिकांष क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोज़गार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोज़गार निवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(i) प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड–19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्व–रोज़गार के अवसर सुलभ कराना।

(ii) पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।

(iii) ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लान्ट लगाकर आय के साधन विकसित कराना।

(iv) प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आर0पी0ओ0 की पूर्ति सुनिश्चित कराना।

(v) योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के साथ–साथ उक्त भूमि पर मौन पालन तथा फल, सब्ज़ी एवं जड़ी–बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना।

2. <u>योजना का विवरण</u> :–

(i) इस योजना का नाम ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना'' होगा।

(ii) यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।

(iv) इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।

(v) इस योजना के अन्तर्गत 10000 परियोजनाऐं पात्र आवेदकों को आवंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण MSME एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

(vi) इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना'' के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–580/VII-3/01(03)-एम0एस0एम0ई0/2020 दि0– 09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग द्वारा लागू ''मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना'' के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(vii) इस योजना के अन्तर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

(viii) इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जायेगा।

3. <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

(i) यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत प्रदेष के उद्यमषील युवक, ग्रामीण बेरोज़गार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते हैं।

(iii) इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(iv) इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।

4. परियोजना हेतु तकनीकी मानक :–

(i) इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के संयत्र आवंटित किये जायेंगे।

(ii) 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवष्यकता होगी।

(iii) 25 किलोवॉट क्षमता तक के संयत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवॉट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।

(iv) उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवॉट क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वॉ0 की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है।

(v) इस योजना के अन्तर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट (संयंत्र) आवंटित किये जायेंगे। यदि ट्रांसफार्मर के आस–पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।

(vi) प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

(vii) इस योजना के अन्तर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।

(viii) यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

5. योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ :–

(i) इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिषत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) इस योजना में संयत्र की कुल लागत का 70% तक अंष लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य/सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राषि सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में प्राविधानित मार्जिन मनी/अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(iv) सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।

(v) यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लान्ट लगाना चाहता है, तो उस लाभार्थी को भी एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(vi) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू–परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जायेगी।

(vii) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को संयत्र स्थापित किये जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निःषुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ–2 मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी बूटियों) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त श्रोत्र विकसित कर सकेगें।

6. परियोजना की आर्थिकी :–

(i) उदाहरण के रूप में 25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट पर 40 हजार प्रति कि0वॉ0 की दर से कुल लगभग 10 लाख का व्यय सम्भावित है।

(ii) परियोजना लागत पर सहकारी बैंक से 70% तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। शेष धनराषि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।

(iii) 25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से वर्षभर में अनुमानित 38,000 यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा।

7. योजना हेतु आवेदन/चयन प्रक्रिया :–

(i) इस योजना हेतु उरेडा द्वारा MSME Online Portal पर आवेदन आमंत्रित/प्राप्त किये जायेंगे।

(ii) आवेदन के साथ प्रत्येक लाभार्थी को रू0 500/- (जी0एस0टी0 सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निदेषक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में उरेडा के संबंधित जनपदीय कार्यालय पर आवेदन करने की तिथि से 10 दिन के अन्दर जमा कराया जाना होगा अथवा **उरेडा के खाता सं0–4422000101072887, IFSC Code: PUNB0442200**, ब्रांच : विधानसभा, देहरादून में जमा कराया जाना होगा।

(iii) प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार **''तकनीकी समिति''** गठित की जायेगी :-

- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
- यू0पी0सी0एल0 के सम्बन्धित जनपद के अधिषासी अभियन्ता।
- जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि।
- उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक)।

(iv) तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

- जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र - सदस्य।
- अधिषासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 - सदस्य।
- सम्बन्धित जनपद के सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक - सदस्य।
- वरि0 परि0 अधि0/परि0 अधि0, उरेडा - सदस्य सचिव।

8. विविध :-

(i) परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(ii) लाभार्थी द्वारा परियोजना आवंटन पत्र, **P**ower **P**urchase **A**greement (PPA) की प्रति, परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को जमा कराये जायेंगे।

(iii) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उक्त आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को 07 दिवस के भीतर अग्रसारित किये जायेंगे।

(iv) लाभार्थी को आवेदन बैंक शाखा में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

(v) ऋण स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला केन्द्र उद्योग को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस पर दावा प्राप्त होने के 07 दिन में मार्जिन मनी की राशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में टी0डी0आर0 (मियादी जमा) के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।

(vii) सोलर पावर प्लान्ट के 02 वर्षों तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन-मनी अनुदान के रूप में समायोजित हो जायेगी।

(viii) सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार मान्य होंगे।

(ix) लाभार्थी द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करायी जायेगी।

(x) स्थापित सोलर पावर प्लान्ट के स्वामित्व में परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) के 02 वर्षों तक कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।

(xi) इस योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जिन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

इच्छुक आवेदक निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं

1. वेबसाईट http://msy.uk.gov.in को खोलें।
2. उक्त बेबसाईट खुलने के उपरान्त "**मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना**" के डिस्पले पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त "**मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार**" योजना हेतु एक page खुलेगा।
3. उक्त page में आनलाईन आवेदन Heading के अर्न्तगत सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करें।
4. पंजीकरण करने के पष्चात आनलाईन आवेदन Heading के अर्न्तगत "**यहॅा आवेदन करें**" पर क्लिक करें। इसके उपरान्त अपना E-mail एवं Pasward डालकर आवेदन करें।
5. आवेदन के समय अनिवार्य रूप से upload किये जाने वाले प्रपत्रों की Scan कापी :–
   - स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
   - आधार कार्ड की प्रति।
   - पासपोर्ट साईज फोटो।
   - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
   - शपथ पत्र।
   - निर्धारित आवेदन शुल्क के ड्राफ्ट/NEFT संम्बन्धी प्रमांण।

नोटः– आवेदन के समय यदि किसी आवेदनकर्ता के पास खसरा खतौनी/लीज डीड संबंधी प्रपत्र उपलब्ध हो तो उसे भी **upload** किया जा सकता है।

25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट परियोजना की अनुमानित मूल्य–आर्थिकी का विवरण

क्र0सं0	सामान्य विवरण	आंकडे
1	परियोजना की क्षमता	25 कि0वा0
3	परियोजना लागत (अनुमानित)	रू0 10,00,000
4	अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन	38,000 यूनिट्स (kWh)
5	ऋण (लोन) प्रतिषत (अनुमानित)	70%
6	इक्विटी प्रतिषत (अनुमानित)	30%
7	ऋण राषि (रू0 में)	रू0 7,00,000
8	इक्विटी राषि (रू0 में)	रू0 3,00,000
9	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मार्जिन मनी/अनुदान राषि @ अनुदान औसतन 20% की दर से (उदाहरण के रूप में पौडी जनपद हेतु)	रू0 2,00,000
10	यू0पी0सी0एल0 को विद्युत विक्रय हेतु टैरिफ	रू0 4.49/यूनिट
11	**विद्युत विक्रय से प्राप्त वार्षिक राजस्व**	**रू0 1,70,620**
12	परियोजना के रख–रखाव एवं लीज राषि (यदि देय हो) पर वार्षिक व्यय	रू0 20,000
13	बैंक ऋण पर ब्याज दर	8%
14	ऋण अवधि	15 वर्ष
15	ऋण वापसी की किस्त राषि (प्रति माह)	रू0 6,690
16	ऋण वापसी की किस्त राषि (प्रति वर्ष)	रू0 80,280
17	**कुल व्यय**	**रू0 1,00,000**
18	कुल आय (प्रति वर्ष)	रू0 70,340 (प्रति माह आय रू0 5,861)

नोटः–एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत (मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना) में जनपदवार परियोजना लागत पर मार्जिन मनी/अनुदान की अनुमन्यता 15% से 25% तक है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपदवार अनुमन्य मार्जिन मनी/अनुदान का विवरण

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र	अनुमन्य मार्जिन मनी/अनुदान की मात्रा
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाषी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेष्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	25 प्रतिशत
श्रेणी–बी	• जनपद अल्मोडा का सम्पूर्ण भू–भाग। • जनपद पौडी गढवाल तथा टिहरी गढवाल के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोडकर)। • जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के मात्र पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड (बी+ व सी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोडकर)।	20 प्रतिशत
श्रेणी– बी+	• जनपद पौडी गढवाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुडे हुये मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढवाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला मुनी–की–रेती, तपोवन तथा उससे जुडे हुये मैदानी क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र। • जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।	
श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र।	15 प्रतिशत
श्रेणी–डी	• जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवषेष समस्त मैदानी क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।	

उरेडा के जनपदीय कार्यालयों के अधिकारियों के नाम, पते, दूरभाष संख्या एवं ई–मेल पते का विवरण

क्र0सं0	जनपद	तैनात वरिष्ठ / परियोजना अधिकारियों के नाम व पद	परियोजना कार्यालय का पता	फोन संख्या / फैक्स	ई–मेल पता
1	देहरादून	श्री विजय सिंह रावत, वरि0परि0अधिकारी	कारगी ग्रांट, पो0ओ0 बंजारावाला, देहरादून	9412077205	uredaproject@gmail.com
2	हरिद्वार	श्री अजय कुमार, वरि0परि0अधिकारी	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	9412364903	uredahwr@gmail.com
3	पौड़ी	श्री शिव सिंह मेहरा, परियोजना अधिकारी	विकास भवन, पौड़ी	9411157890	ureda.pauri@gmail.com
4	टिहरी	श्री मनोज कुमार, वरि0परि0 अधिकारी	सिविल लाईन्स, नरेन्द्र नगर, टिहरी	9411079047	Ureda.tehri@gmail.com
5	उत्तरकाशी	सुश्री वन्दना, वरि0परि0 अधिकारी	107, विकास भवन, उत्तरकाशी	9412864765	ureda_uki@yahoo.in
6	रूद्रप्रयाग	श्री संदीप सैनी, परियोजना अधिकारी	स्वामी सचिदानन्द नगर, रूद्रप्रयाग	9411774058, 7351476411	uredarudraprayag@gmail.com
7	चमोली	श्री वाई0एस0 विष्ट, परियोजना अधिकारी	निकट पैट्रोल पम्प, गोपेश्वर, चमोली	9412912732	ureda_chamoli@rediffmail.com
8	पिथौरागढ़	श्री ए0के0 शर्मा, वरि0परि0 अधिकारी	कक्ष संख्या–312 द्वितीय तल, विकास भवन पिथौरागढ़	9411113247	uredapth@yahoo.com popit-ureda-uk@gov.in
9	बागेश्वर	श्री रॉकी कुमार, परियोजना अधिकारी	विकास भवन, कक्ष संख्या 81, बागेश्वर	9997865403	uredabgr@gmail.com
10	नैनीताल	श्री सन्दीप भट्ट, वरि0परि0 अधिकारी	प्रथम तल, भट्ट काम्प्लैक्स, निकट सुशीला तिवारी अस्पताल, रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	9412127981	uredantl@gmail.com
11	अल्मोड़ा	श्री जी0सी0 मेहरोत्रा, वरि0परि0 अधिकारी	जिला पंचायत भवन, धारनौला, अल्मोड़ा	9412079436	alm.uredado@gmail.com
12	उधम सिंह नगर	श्री आर0सी0 पाण्डे, उप मुख्य परि0 अधिकारी	जिला पंचायत भवन, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर	9412038927	usn.uredado@gmail.com
13	चम्पावत	श्री मनोज कुमार बजेठा, परियोजना अधिकारी	पाण्डे भवन, मडाली, चम्पावत	9412033133	uredacmp@gmail.com

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

(वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून ।

फोनः 0135–2521387, फै0– 0135–2521386

E-mail: spv.uredahq@gmail.com, Web: www.ureda.uk.gov.in